न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 64/2016

अपीलांट

गुमानसिंह पुत्र केसरसिंह जी जाति रावणा राजपूत निवासी कलापुरा तहसील जालोर व जिला जालोर

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. जगतसिंह पुत्र करणसिंह जी जाति राजपूत निवासी डकातरा तहसील व जिला जालोर

प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट

2. गणपतसिंह पुत्र केसरसिंह जी
3. दिनेश सिंह पुत्र केसरसिंह जी
4. चन्द्रा कंवर पुत्री केसरसिंह जी
5. सूरज कंवर पुत्री केसरसिंह जी
6. माफिया कंवर पुत्री केसरसिंहजी
7. दीपसिंह पुत्र भीकसिंह जी
8. छोगसिंह पुत्र भीकसिंहजी
9. मांगी कंवर बेवा केसरसिंह जी
10. चुना उर्फ पूना पुत्र भीकसिंह जी तमाम जातियान रावणा राजपूत, निवासीगण कलापुरा, तहसील जालोर व जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. श्री अशोक कुमार, महबूब खान विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01
3. शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक : 9/12/2020

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2013 बउनवान जगतसिंह बनाम गुमानसिंह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 09 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उक्त पक्षकार के विरूद्ध गुणवागुण पर निर्णय पारित किया जाता है। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 187 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा कलापुरा तहसील जालोर के वर्तमान खसरा नंबर 25 रकबा 4.05 हैक्टेयर में से उतरी दिशा भाग पर रकबा 2.79 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री लोक अदालत कैम्प में पारित की गई है। किन्तु कैम्प की सूचना की तामिल सभी पक्षकारान से नहीं करवाई गई। एवं न ही पक्षकारा के मध्य कोई राजीमाना नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी की मौका रिपोर्ट पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो मौका रिपोर्ट गलत है। पटवारी को मुश्तकिल बिन्दु तय करके नाप करना होता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी ने अपने वाद के साथि जो नक्शा प्रस्तुत कया है जो राजस्व विभाग का दस्तावेज है। उस नक्शे में खसरा नंबर 25 उसके पास में एक पट्टी खसरा नंबर 25/593 उसके बाद खसरा नंबर 5, 6 व 7 है और उसके आगे दूसरे गांव की सीमा शुरू होना बताया गया है। जो नक्शे से स्पष्ट है। पटवारी द्वारा नाप दक्षिण दिशा से करते हुए उतर दिशा की तरफ बढना रिपोर्ट में बताया है। पटवारी द्वारा नाप करने का तरीका ही गलत है जब उत्तर दिशा की तरफ एक गांव के नेमक मतलब सीमा चिन्ह आये हुये है तो वे बिन्दु मुश्तकिल बिन्दु है। उनकी तरफ से नाप करते हुये आगे बढा जा सकता था जो पटवारी द्वारा दोनो ही रिपोर्ट में नहीं किया गया है। पटवारी ने मौके पर खसरा नंबर 25 और 701/28 का नाम करना बताया है। जबकि नक्शे में खसरा नंबर 25 तो है परन्तु खसरा नंबर 701/28 मौजूद नहीं है। यह खसरा नंबर लठा ट्रेस में पटवारी द्वारा बिना नाप के बिना किसी आधार के कायम किया गया है। सुन्दर के नाम दिनांक 24.12.2008 की जो जमाबंदी है उसमे यह खसरा नंबर अंकित नहीं है। सुंदर के नाम खसरा नंबर 25 रकबा 4.05 व 28 रकबा 6.15 हैक्टेर कुल रकबा 10.20 हैक्टेर अंकित है। उसमे से 4.85 हैक्टेर सुंदर जगतसिंह का बेचती है। उसमे पटवारी बिना किसी आज्ञा के नामान्तरकरण करते समय एक नया नंबर कायम कर देता है। उसका इन्द्राज बाद में जमाबंदी में भी कर दिया जाता है। जबकि मोमी ट्रेस में ऐसा कोई नंबर नहीं है। पटवारी ने रिपोर्ट में यह बताया है कि उसने खसरा नंबर 31 और 29 की मध्य माठ से नाप शुरू किया। यह बात भी मौके के नक्शे के अनुसार मोमी ट्रेस के अनुसार गलत साबित होती है। खसरा नंबर 29 की कोई सीमा खसरा नंबर 31 से नही लगती है। इन दोनो के मध्य में खसरा नंबर 31/605 है। जिसका कोई हवाला पटवारी अपनी रिपोर्ट में नहीं दिया है। पटवारी खसरा नंबर 28 तथा खसरा नंबर 30/604 से कोई नाप नहीं करता है। इसके अलावा एक सामान्य सिद्धान्त है कि नाप सदैव मुश्तकिल बिन्दु से होगा। पटवारी के नाप को मानने का अर्थ यह होता है कि अपीलांट तथा प्रफोर्मा रेस्पोडेन्ट की जमीन तडवा की सरहद में जा चुकी है। जो कि संभव नहीं हे। चकबंदी से पूर्व यह खसरा नंबर 24 एवं 12 से 22 था और बाद में इसके चार हिस्से खसरा नंबर 6 और 19, 20, 21 बने थे। उन सबको आधार बनाकार नाप किये बिना वादग्रस्त आराजी की सही स्थिति स्पष्ट नहीं सकती है। हल्का पटवारी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जब कोई विवाद होता है तो

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

नाप सदैव मुश्तकिल बिन्दु से ही होगा। जहां पर दुसरे गांव की सरहद आ रही है उस सरहद से नाप किया जाकर सरहद वाले खेत का रकबा पुरा किया जाकर उससे आगे वाले खेतो को लगातार दुसरे मुश्तकिल चिन्ह तक नापने पर ही वास्तविकता का ज्ञान हो सकता है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में इस प्रकार की कोई जांच नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने गलत मौका रिपोर्ट के आधार पर बिना अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये लोक अदालत कैम्प में विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 187 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा कलापुरा तहसील जालोर के वर्तमान खसरा नंबर 25 रकबा 4.05 हैक्टेयर में से उतरी दिशा भाग पर रकबा 2.79 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पंचायत मुख्यालय बैरठ में लोक अदालत में राजीनामे के आधार पर पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 187 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा कलापुरा तहसील जालोर के वर्तमान खसरा नंबर 25 रकबा 4.05 हैक्टेयर में से उतरी दिशा भाग पर रकबा 2.79 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर उक्त आराजी से प्रतिवादीगण का कब्जा हटाने का अनुतोष चाहा। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्ट 01 द्वारा प्रस्तुत वाद के अन्तर्गत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर हल्का पटवारी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबध में रिपोर्ट तलब की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर लोक अदालत कैम्प में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के साक्ष्य सबूत इत्यादि लेकर भी प्रकरण को निर्णीत किया जाता तो उक्त निष्कर्ष को बदला जाना हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। तथा उपखंड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर जालोर द्वारा राजस्व वाद संख्या 45/2013 बउनवान जगतसिंह बनाम गुमानसिंह आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.05.2016 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

यह निर्णय आज दिनांक 2/12/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली